निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 31/2020
दायरा दिनांकः—06.07.2020
निर्णय दिनांकः— 22.4.25

उनवान

1. भूली बाई आयु 65 वर्ष पुत्री किशोरीलाल जाति मीना निवासी ग्राम नानूखेडी
2. गुड्डी बाई आयु 42 वर्ष पुत्री किशोरीलाल जाति मीना निवासी ग्राम नानूखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. कैलाश आयु 40 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति मीना निवासी ग्राम बालापुरा
2. रामसिंह आयु 70 वर्ष पुत्र धनरूप जाति मीना निवासी ग्राम बालापुरा
3. बाबूलाल आयु 30 वर्ष पुत्र धनरूप जाति मीना निवासी ग्राम बालापुरा
4. भाया आयु 40 वर्ष पुत्र धनरूप जाति मीना निवासी ग्राम बालापुरा
5. हरफुल आयु 40 वर्ष पुत्र मथुरालाल जाति मीना
6. चतरू आयु 30 वर्ष पुत्र प्रेमनारायण जाति मीना
7. हेमराज आयु 30 वर्ष पुत्र प्रेमनारायण जाति मीना
8. मोरपाल आयु 35 वर्ष पुत्र मदनलाल जाति मीना निवासीगण ग्राम नानूखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 22.4.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री उमाशंकर गोस्वामी — प्रार्थी
2. श्री बाल मुकन्द खण्डेलवाल —अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि खसरा नम्बर 96 की रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 103 की रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 105 की रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 106 की रकबा 7 बीघा 13 विस्वा, खरारा नम्बर 156 की रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 194/1 की रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 213 की रकबा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 234 की रकबा 05 बिस्वा कुल किता 8 रकबा 15 बिस्वा 11 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 70 की रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा माल हफीजपुरा व माल नानूखेडी में प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी स्थित है। अप्रार्थीगण लडाकू—झगड़ालू प्रकार के व्यक्ति है. जो ताकत के बल पर लड़ाई—झगड़ा कर प्रार्थनीगण महिलाऐ होने के

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

कारण प्रार्थनीगण के खातेदारी की आराजी पर प्रार्थनीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न कर नाजायज परेशान करते है, और प्रार्थनीगण को परेशान करते है, और प्रार्थनीगण को काश्त नहीं करने देते है। अप्रार्थीगण प्रार्थनीगण को बिना न्यायालय की सहायता से उनके खाते की आराजी पर काश्त नहीं करने देगे एवं प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण धमकिया देते है कि इस कृर्षि आराजी पर हम काश्त करेगे तुम्हें काश्त नहीं करने देगे यदि तुमने फसल बोई तो उसे भी नष्ट करके रहेगे। बिना न्यायालय की सहायता के अप्रार्थीगण को उनके द्वारा किए जा रहे अवैध एवं गैरकानूनी तरीके से रोका जाना सम्भव नहीं है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है. कि वह न्यायालय की सहायता से अप्रार्थीगण को उनके द्वारा किए जा रहे गैरकानूनी कार्य को रूकवाकर स्थायी निषेधाज्ञा से निषिद करवा सके कि भविष्य में अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी पर काश्त में दखल अंदाजी नहीं करे । प्रार्थीगण के पास न्यायालय में वाद पेश कर अप्रार्थीगण को पाबंद कराने के अलावा अन्य कोई समेचिन्ह रेमेड़ी उपलब्ध नहीं है। प्रार्थना पत्र का कारण दिनांक 23/06/2020 को उत्पन्न हुआ जब प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजी पर काश्त कर रहीं थी. और अप्रार्थीगण ने काश्त करने में बांधा उत्पन्न की और मारपीट करने पर आमादा हुए और कहां कि भविष्य में तुमने काश्त की तो तुम्हें, जान से मार डालेगे काश्त हम ही करते रहेगे, यह तारीख ही इस वाद की बिनाय दावा है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 की ओर से जवाब पेश हुआ प्रतिवादी क्रम 4 व 8 बावजुद सुचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी क्रम 5,6,7, की ओर से जवाब पेश नही होने पर जवाब बन्द किया गया। प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के नकल जमाबन्दी ग्राम हफीजपुरा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 6 नकल जमाबन्दी ग्राम नानूखेडी सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 10 नकल जमाबन्दी ग्राम नानूखेडी सम्वत् 2072–75 खाता सख्या 10 पेश की गई।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थीया का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम हफीजपुरा व नानूखेडी तहसील छबडा में स्थित है। अप्रार्थीगण प्रार्थीया के खातेदारी एवं कबजे काश्त की आराजी पर जबरन कबजा करना चाहतें है। अप्रार्थीगण को प्रार्थीया के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी पर किसी प्रकार का जबरन कब्जा कर बेदखल करने का कोई अधिकार नही है अप्रार्थीगण प्रार्थीया को भूमि से बेदखल नही कर सकतें है क्योकि विवादित आराजी प्रार्थीया के खातेदारी की है अप्रार्थीगण को प्रार्थीया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने का कोई अधिकार नही है भूमि अप्रार्थीगण के खातेदारी की नही है प्रार्थीया अप्रार्थीगण को पाबन्द कराने की अधिकारी है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थी के पिता किशोरीलाल द्वारा दिनांक 29.04.2011 को अप्रार्थी रामसिंह को 2,25000/– में बेचान कर कब्जा दिया था। बेचान के समय यह शर्त थी कि बैंक का ऋण का चुका कर में रजिस्ट्री करवा दुंगा। तभी से अप्रार्थी रामसिंह खसरा नम्बर 106 रकबा 7.13 बीघा में से 3 बीघा पर कब्जा काश्त चला आ रहा है इकरारनामें की शर्तो के अनुसार प्रार्थीगण का यह

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

दायित्व है कि खसरा नम्बर 106 रकबा 7.13 बीघा में से 3 बहघा भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अप्रार्थी रामसिंह के पक्ष में करातें प्रार्थीगण द्वारा धारा 188 आर0टी0एक्ट का दावा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने के लिए पेश किया है जबकि प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा। प्रार्थीगण दावे की आड में अप्रार्थी को भूमि से जबरन बेदखल कराना चाहतें है जबकि उनका कोई अधिकार नही है प्रार्थीगण द्वारा अन्य सह खातेदारों को वाद पत्र में पक्षकार नही बनाया है जो आवश्यक पक्षकार है पक्षकारों के असंयोजन का दोष होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम नानूखेडी तहसील छबडा सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 10 में किशोरीलाल पुत्र मन्नालाल का नाम दर्ज रिकार्ड है जमाबन्दी के कॉलम संख्या 11 से 13 में नामान्तरण संख्या 419 दिनांक 05.07.2019 से मृतक किशोरीलाल के स्थान पर वारिस बाबूलाल, धन्नालाल, गंगाराम, पुत्र किशोरीलाल भूलीबाई, गुड्डी बाई पुत्रिया किशोरीलाल का नाम दर्ज करने का नोट अंकित है विवादित आराजी पांचो भाई बहिनों के शामलाती खातेदारी में दर्ज है प्रार्थीगण द्वारा सभी खातेदारों को पक्षकार नही बनाया है भूमि का बटवारा भी नही हुआ। इसलिए बिना बटवारा करायें यह नही कहां जा सकता कि किसका किस भूमि पर कब्जा है अर्थात् प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नही होता है इसलिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा